रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102023-249240
CG-DL-E-07102023-249240

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 5, 2023/आश्विन 13, 1945
No. 567] NEW DELHI, THURSDAY , OCTOBER 5, 2023/ASVINA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 720(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारुप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 405(अ), तारीख 30 मई, 2023 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 31 मई, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारुप नियमों के बाबत जनता से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (सातवाँ संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,-

(क) प्ररुप 20 में, क्रम संख्यांक 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"24क. खड़े होने के स्थान...

24ख. शयन के स्थान ....";

(ख) प्ररुप 21 में, भाग 4 में, क्रम संख्यांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"9क. खड़े होने के स्थान ....

9ख. शयन के स्थान .... ";

(ग) प्ररुप 22ख में, क्रम संख्यांक 6.19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

"6.19	बैठने के स्थान (चालक सहित) खड़े होने के स्थान/ शयन के स्थान की परिकल्पना टिप्पण: बैठने, खड़े होने और शयन करने वालों के क्षेत्र के विन्यास के साथ बस बॉडी कोड में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया पर आधारित बैठने, खड़े होने और शयन करने वालों यात्रियों के स्थान की गणनाओं को उपदर्शित करने वाली शीट संलग्न करें ";	(हां / नहीं)

(घ) प्ररुप 23क में, मशीन द्वारा पढ़े जाने वाला भाग शीर्षक के अधीन, क्रम संख्यांक 3 के सामने, पंक्ति संख्यांक 6 की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखत प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"बैठने के स्थान चालक सहित ";

(ड.) प्ररुप 23 ख में, पंक्ति संख्यांक 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"बैठने के स्थान चालक सहित ....

खड़े होने के स्थान ....

शयन के स्थान.. ";

(च) प्ररुप 25 में, क्रम संख्यांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"11क. खड़े होने के स्थान ....

11ख. शयन के स्थान.. ";

(छ) प्ररुप 41 में, क्रम संख्यांक 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"13. बैठने के स्थान चालक सहित

13क. खड़े होने के स्थान ....

13ख. शयन के स्थान.. ";

(ज) प्ररुप 42 में, क्रम संख्यांक 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

14क. खड़े होने के स्थान ....

14ख. शयन के स्थान.. ";

(झ) प्ररुप 43 में, क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"10क. खड़े होने के स्थान ....

10ख. शयन के स्थान.. ";

(ञ) प्ररुप 46 में, क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"10.मोटर यान का आय भार ....

10क. खड़े होने के स्थान (चालक सहित) ....

10 ख. शयन के स्थान .... ";

(ट) प्ररुप 47 में, क्रम संख्यांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"11 खड़े होने के स्थान (चालक सहित) ....

11क. शयन के स्थान .... ";

(ठ) प्ररुप 51 में, क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"5क. बैठने के स्थान (चालक सहित)..........................

5ख. खड़े होने के स्थान ....

5ग. शयन के स्थान .... "

[फा.सं. आरटी -11036/163/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 698(अ) तारीख, 27 सितंबर, 2023 द्वारा अंतिम रुप से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2023

G.S.R. 720(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 405(E), dated the 30th May, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 31st May, 2023;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989,-

(a) in FORM 20, after serial number 24 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

"24A. Standing capacity ………………………………

24B. Sleeper Capacity ……………………………….";

(b) in FORM 21, in Part IV, after serial number 9 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

"9A. Standing capacity ………………………………

9B. Sleeper capacity ………………………………";

(c) in FORM 22B, for serial number 6.19 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"6.19	Designed Seating Capacity (including Driver)/ Standing Capacity/ Sleeper Capacity Note: Enclose a sheet indicating calculations of the seating, standing and sleeper passenger capacity based on the procedure specified in the bus body code along with layout of seats, standees and sleeper area. ";	(Yes/No)

(d) in FORM 23A, under the heading Machine Readable Zone, against serial number 3, for entries in row number 6, the following entries shall be substituted, namely:-

"Seating capacity including driver";

(e) in FORM 23B, for row number 12 and the entries relating thereto, the following rows and entries shall be substituted, namely:-

"Seating capacity including driver ………………………………….

Standing capacity ………………………………….

Sleeper capacity ………………………………….";

(f) in FORM 25, after serial number 11 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

"11A. Standing capacity …………………………….....

11B. Sleeper capacity ………………………………";

(g) in FORM 41, for serial number 13 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"13. Seating capacity including driver …………………………

13A. Standing capacity ……………….........

13B. Sleeper capacity .....……………………..";

(h) in FORM 42, after serial number 14 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

"14A. Standing capacity ……………………………………….

14B. Sleeper capacity ………………………………………";

(i) in FORM 43, after serial number 10 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

"10A. Standing capacity …………………………..

10B. Sleeper capacity …………………………..";

(j) in FORM 46, for serial number 10 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"10. Pay load of the motor vehicle ……………………………….

10A. Seating capacity (including driver) ………………………….

10B. Sleeper capacity …………………………";

(k) in FORM 47, for serial number 11 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"11. Seating capacity (including driver) ……………………….

11A. Sleeper capacity ………………………….";

(l) in FORM 51, after serial number 5 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

"5A. Seating capacity (including driver) ……………………………………….

5B. Standing capacity ……………………………………..

5C. Sleeper capacity ……………………………………..".

[F. No. RT-11036/163/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note. The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* Notification number G.S.R. 698(E), dated the 27th September, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.07 14:49:22 +05'30'